[redacted]

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विज्ञापन सं० – 03/2018

[redacted]

(चिकित्सक कृपया ध्यान दें)

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–2401 दिनांक–18.07.2007 के तहत् संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 व संशोधित नियमावली 2013 के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

(क)सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु मापदंड/शर्तें:–

1. सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उम्मीदवारों को विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरांत भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्षो का रेजिडेन्ट/सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है, सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

2. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरांत भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यून्तम तीन वर्षों का रेजिडेन्ट/सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। उक्त हेतु विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किया जाएगा–

(क) तीन एम०बी०बी०एस० विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग–

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोटः– एक या अधिक एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामलें, खास एम०बी०बी०एस० परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय–समूह में प्राप्तांक –

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोटः– आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय–समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

(ग) एम०डी० / एम०एस० अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशियलिटी में समकक्ष मानी गयी अहर्ता – 10 अंक

(घ) उसी स्पेशियलिटी में पी०एच०डी०, डी०एम०,एम०सी०एच० – 10 अंक

(ङ) साक्षात्कार – 06 अंक

(च) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव – 10 अंक
(प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक)

नोटः– ऐसे एम0आर0सी0पी0, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आबंटित नहीं किया जायेगा।

(4) तीन विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1(एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(5) निम्नवर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आबंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जायेगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

(क) अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी बिहार स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1(एक) अंक ।

(ख) अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2(दो) अंक ।

(6) सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम् 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।"

(ख) वैसे उम्मीदवार, जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं एवं उन विषयों के लिए आवेदक होते हैं, तो उन्हें विभागवार अलग–अलग आवेदन देना होगा तथा इसका उल्लेख On-line आवेदन में करना होगा। एक बार चयनित होने पर किसी भी परिस्थिति में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता एम०सी०आई० से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) संविदा पर नियोजन के उपरांत स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही वेतन महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होंगे।

(घ) जो चिकित्सक सरकारी सेवा में है, उनका आवेदन पत्र नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित होना चाहिए।

(ङ) उम्र सीमा (01.07.2018 को अधिकतम) –

कोटि	सहायक प्राध्यापक
अनारक्षित(पुरूष)	45 वर्ष
अनारक्षित(महिला),	48 वर्ष
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	48 वर्ष
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	50 वर्ष

नोट :– बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिए सहायक प्राध्यापक के पद हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगा।

(च) (i) संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जाएँगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

(ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में On-line स्वीकार किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए **वेबसाईट** ***www.health.bih.nic.in*** के **Recruitment Section** पर जाकर दिनांक–20.01.2019 के पूर्वाह्न 12:00 बजे से दिनांक–05.02.2019 के मध्यरात्रि 12:00 बजे तक Upload किया जा सकता है। आवेदक Website पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ID generate करने के उपरांत Form पूरी तरह भरकर Submit करेंगे।

(iii) आवेदक On-line आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का E-Mail/Form Print out के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ आवश्यकतानुसार अग्रसारण काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(छ) **मानदेय** :– सहायक प्राध्यापक–रु0 75,000/–(पचहत्तर हजार रु0)
कार्य संतोषप्रद होने पर प्रत्येक वर्ष 10% की कुल मानदेय में वृद्धि देय होगी।

(ज) यह नियुक्ति 01 वर्ष अथवा उन पदों के नियमित नियुक्ति होने/प्रोन्नति से भरे जाने तक (जो भी पहले हो) के लिए अनुमान्य होगी।

(झ) आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में पूर्ण रूपेण भरा हुआ तथा उम्र, योग्यता, शैक्षणिक अनुभव एवं प्रकाशन संबंधी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.health.bih.nic.in के Recruitment Section से Download किया जा सकता है।

(ञ) उपरोक्त चयन हेतु विभागवार निम्न कार्यक्रमानुसार **काउंसलिंग** का आयोजन किया गया है:–

काउंसलिंग का कार्यक्रम

क्र0 सं0	विभाग का नाम एवं काउंसलिंग की तिथि	क्र0सं0	विभाग का नाम एवं काउंसलिंग की तिथि	क्र0सं0	विभाग का नाम एवं काउंसलिंग की तिथि
काउंसलिंग स्थल –आर0एस0बी0 ऑडिटोरियम, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना समय– 10:00 बजे पूर्वाह्न से					
07.02.2019		**12.02.2019**		**15.02.2019**	
1.	एनॉटोमी	10.	औषधि	18.	नाक, कान, एवं गला
2.	फिजियोलॉजी	**13.02.2019**		19.	नेत्र रोग
3.	बायोकेमिस्ट्री	11.	टी0वी0 एण्ड चेस्ट	20.	निश्चेतना
4.	पैथोलॉजी	12.	चर्म एवं रति रोग	21.	पी0एम0आर0
08.02.2019		13.	रेडियोलॉजी	**18.02.2019**	
5.	माइक्रोबायोलॉजी	14.	रेडियोथेरापी	22.	स्त्री एवं प्रसव रोग
6.	फार्माकोलॉजी	**14.02.2019**		**19.02.2019**	
7.	पी0एस0एम0	15.	मनोरोग	23.	शिशु रोग
8.	एफ0एम0टी0	16.	हड्डी	**20.02.2019**	
11.02.2019		17.	जेरियाट्रीक्स	24.	दंत विभाग
9	सर्जरी				

(ट) वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में नहीं सम्मिलित हो पाए, वे दिनांक–21.02.2019 एवं 22.02.2019 को निर्धारित स्थान पर काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। तत्पश्चात् उनकी अभ्यर्थिता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(ठ) चयन का आधार मेधा क्रमांक होगा जो विभिन्न मापदंडों के अनुसार प्राप्त अंक, स्नातकोत्तर उत्तीर्णता का वर्ष एवं आयु के आधार पर तैयार होगा।

(ड) रिक्त पदों की सूची भी अनुलग्नक के रूप में प्रकाशित है। रिक्तियाँ घट–बढ़ सकती है।

(ढ) **काउंसलिंग** हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16/1/19

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार

राज्य के 09 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक के आरक्षणवार रिक्त पदों की विवरणीः–

क्र0	विभाग का नाम	कुल रिक्ति	अनारक्षित			अत्यंत पि0 वर्ग			पि0 वर्ग			अनु0 जाति			अनु0 जन–जाति			पिछड़े वर्ग की महिला	कुल	स्वतंत्रा सेनानियों के पोता/ पोती/नाती/नतीनी के लिये आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	विकलांग उममीदवारों के लिए (4%) आरक्षित पदों की संख्या
1	2	3	4			5			6			7			8			9	10	11	12
		कुल रिक्ति	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	महिला आरक्षण 35%	शेष	कुल रिक्ति	कुल योग	कुल योग में से उपरोक्त के लिए आरक्षित पद	कुल योग में से उपरोक्त के लिए आरक्षित पद
1	एनाटॉमी विभाग	38	15	05	10	07	02	05	05	01	04	09	02	07	01	00	01	01	38	01	02
2	फिजियोलॉजी	33	13	04	09	09	02	07	01	00	01	09	01	08	01	00	01	00	33	01	02
3	बायोकेमिस्ट्री	35	15	05	10	10	02	08	00	00	00	09	01	08	01	00	01	00	35	01	01
4	फार्माकोलोजी	27	10	07	03	06	01	05	00	00	00	09	01	08	01	00	01	01	27	00	01
5	माइक्रोबायोलॉजी	38	19	06	13	07	01	06	01	00	01	08	02	06	01	00	01	02	38	01	02
6	पैथोलॉजी	22	05	01	04	05	00	05	00	00	00	09	00	09	01	00	01	02	22	00	00
7	पी0एस0एम0	36	13	05	08	09	01	08	04	01	03	08	01	07	01	00	01	01	36	01	01
8	एफ0एम0टी0	41	19	06	13	08	03	05	04	01	03	07	02	05	01	00	01	02	41	01	01
9	औषधि	74	38	13	25	14	04	10	05	02	03	13	04	09	01	00	01	03	74	01	03
10	टी0वी0 एण्ड चेस्ट	48	23	08	15	09	03	06	07	01	06	07	02	05	01	00	01	01	48	01	02
11	चर्म एवं रति रोग	38	15	05	10	10	02	08	06	02	04	04	02	02	01	00	01	02	38	01	02
12	सर्जरी	23	06	01	05	07	00	07	00	00	00	07	01	06	00	00	00	03	23	00	01
13	शिशु रोग	43	21	07	16	10	03	07	01	00	01	08	03	05	01	00	01	02	43	00	02
14	स्त्री रोग एवं प्रसव	61	22	08	14	15	03	12	10	02	08	11	03	08	01	00	01	02	61	00	02
15	पी0एम0आर0	27	13	04	09	06	01	05	02	00	02	05	02	03	00	00	00	01	27	00	00
16	नेत्र रोग	42	24	07	17	04	01	03	04	02	02	07	02	05	01	00	01	02	42	00	02
17	रेडियोलोजी	43	20	06	14	11	03	08	03	01	02	06	02	04	01	00	01	02	43	01	02
18	निश्चेतना	50	22	07	15	11	04	07	07	01	06	07	03	04	00	00	00	03	50	01	02
19	मनोरोग	45	21	07	14	10	03	07	03	01	02	09	03	06	01	00	01	01	45	01	02
20	हड्डी	28	13	04	09	06	02	04	00	00	00	06	01	05	01	00	01	02	28	00	00
21	नाक, कान एवं गला	38	16	06	10	09	02	07	04	01	03	07	02	05	01	00	01	01	38	01	02
22	रेडियोथेरेपी	38	19	07	12	06	02	04	05	02	03	07	03	04	00	00	00	01	38	00	02
23	दंत रोग	18	10	03	07	04	01	03	00	00	00	03	02	01	00	00	00	01	18	00	00
24	जेरियाट्रिक्स	06	03	01	02	02	01	01	00	00	00	01	00	01	00	00	00	00	06	00	00
कुल योग–		892	395	133	262	195	47	148	72	18	54	176	45	131	18	00	18	36	892	13	34

Mukesh sir/Landscape colum